


02-05-25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपर।

वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष द्वारा तहसील से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिफ़ी जारी करने का निवेदन किया गया। बयान पर मनन करने एवं पत्रावली का अपलौकन कोने पर तहसील से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादी से। व २ को खातेदार काश्तकार द्योषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तहसील लेकर दायित्व दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर ज़ुले न्यायालय में सुनाया गया।


02-05-25
(किरण पाल)
R.A.S.